| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 24/10/25 | **आदेश** वाद सं. 140/25<br>BNSS 163<br><br>उभय पक्ष के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने, अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष एक ही पूर्वज के वंशज हैं तथा इनके मध्य बँटवारे को लेकर विवाद है। चूँकि भूमि का बँटवारा (partition) अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः प्रस्तुत वाद में किसी भी पक्ष के हित या विरुद्ध कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय में बँटवारा से संबंधित वाद लाकर या आपसी राजी खुशी सर्व सम्मति से घरेलू बँटवारा कर वाद का स्थायी निपटारा कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त घोषित की जाती है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>(हस्ताक्षर) 24/10/25<br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बगोदर-सरिया<br><br>(हस्ताक्षर) 24/10/25<br>अनुमण्डल दण्डा०<br>बगोदर सरिया | |

Digitally signed by localhost
Date: 2025.12.23 14:56:58 +05:30
Location: 10.93.146.77